सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार-

सोशल मीडिया पर भगवान श्रीराम नाम के कमेन्ट पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर जनता के लोगो के बीच में गलत संदेश की बात को लेकर काफी कसीदगी व्याप्त है उक्त विवाद टिप्पणी के मद्देनजर दिलीप पुत्र दिवाकर उम्र 20 वर्ष निवासी सरसेना थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार करते हुए आज दिनांक 13.11.2024 को पुलिस हिरासत में लेकर चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे माननीय न्यायालय भेजा गया।

दुष्कर्म मामले से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 13.11.2024 को मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के बगल सुरहुरपुर मोड़ के पास से दिनांक 10.11.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 387/2024 धारा 64(2)एम बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अर्जुन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी भांवरकोल थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1. मु0अ0सं0 387/2024 धारा 64 (2) एम बीएनएस थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ। अभियुक्त का विवरण–
- 1. अर्जुन यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी भांवरकोल थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...
- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र नाथ राय थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
- 2. का0 शिव प्रकाश यादव थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
- 3. का0 सोनू सिंह थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
- 4. का0 संजीव कुमार पटेल थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ